# न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 260 / 2022

धर्मवीर सैनी, निवासी हजारी बाग, कनखल, हरिद्वार।

**बनाम**

लोक सूचना अधिकारी ( अति0 जिला कलक्टर ) झुंझुनूं।

– –

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

## आदेश

**दिनांक 03.08.2022**

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी ( अपीलार्थी ) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 21.07.2022 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 260 / 2022 पर दिनांक 22.07.2022 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी ( अति0 जिला कलक्टर ) झुंझुनूं के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी ( अति0 जिला कलक्टर ) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी ( अति0 जिला कलक्टर ) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक / 2022 / 3671–72 दिनांक 22.07.2022 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी ( अति0 जिला कलक्टर ) झुंझुनूं ने पत्रांक एफ 16 ( 4 )( 5 ) न्याय / सू0अ0 / 22 / 964 दिनांक 22.07.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी धर्मवीर सैनी, निवासी हजारी बाग, कनखल, हरिद्वार का आवेदन पत्र इस कार्यालय मे दिनांक 08.06.2022 को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध मे इस कार्यालय के पत्रांक एफ 16( 4 )( 5 ) न्याय / सू0अ0 / 09 / 243 दिनांक 10.06.2022 के द्वारा खनिज अभियन्ता, झुंझुनूं को नियमानुसार प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र भिजवाया गया है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी ( अति0 जिला कलक्टर ) झुंझुनूं ने पत्रांक एफ 16( 4 )( 5 ) न्याय / सू0अ0 / 22 / 964 दिनांक 22.07.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी धर्मवीर सैनी, निवासी हजारी बाग, कनखल, हरिद्वार का आवेदन पत्र उनके कार्यालय मे दिनांक 08.06.2022 को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध मे उनके कार्यालय के पत्रांक एफ 16( 4 )( 5 ) न्याय / सू0अ0 / 09 / 243 दिनांक 10.06.2022 के द्वारा खनिज अभियन्ता, झुंझुनूं को नियमानुसार प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र भिजवाया गया है। चूंकि अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र सूचना का अधिनियम 2005 की धारा 6 ( 3 ) के अन्तर्गत नियमानुसार सूचना उपलब्ध करवाने हेतु संबंधित को अन्तरित कर दिया गया है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 03.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.08.10 17:26:14 IST
Reason: SelfAttested

( एल.एस. कुडी )
जिला कलक्टर, झुंझुनूं

जिला कलक्टर झुंझुनूं